संख्या-8/2017/836/23-7-17-176(सा0)/06

प्रेषक,

सदाकान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(2) समस्त आयुक्त/ जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 08 जून,2017

विषय:-लोक निर्माण विभाग के टेण्डर/कार्यो में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के टेण्डर/कार्यो में माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने, एवं निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं शुचिता तथा कार्यो की मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0-350/23-7-17-176(सा0)/06टी0सी0, दिनांक 31-03-2017 द्वारा सभी कार्यो के लिए ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। लो0नि0वि0 के टेण्डर आदि में असामाजिक तत्वों, अपराधियों और माफिया समूहों पर प्रभावी रोकथाम लगायी जाय जिससे लो0नि0वि0 के कार्यो में किसी भी प्रकार के टेण्डर आदि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को प्राप्त न हों। अत: सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1- लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/ 06, दिनांक 28-12-2006 जारी कर दिया गया है जिसमें सभी बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। इस शासनादेश के प्रस्तर-1 में दिये गये निर्देश अब समस्त कार्यो पर लागू होंगे अर्थात सभी लागत के कार्य इस प्रविधान के अन्तर्गत शामिल होंगे। इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- लोक निर्माण विभाग के मार्ग,सेतु,भवन एवं विधुत/यांत्रिक सहित कार्यो/ निर्माण परियोजनाओं का ठेका किसी भी अपराधी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूद्ध आपराधिक मुकद्में दर्ज हो अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित रहेगा जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते है वे भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पंजीकृत ठेकेदारों तथा ब्लैकलिस्टेड/ डिबार किये गये ठेकेदारों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया जायेगा। ठेकेदारों को कार्य आवंटित करने से पूर्व इस सूची से मिलान अवश्य सुनिश्चित किया जाय। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- ठेका स्वीकृत होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा अन्य संभावित निविदाकर्ताओं को धमकाया जा रहा है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जांच रिर्पोट प्राप्त करने के पश्चात स्वीकृत ठेके को निरस्त कर दिया जायेगा और पुन: निविदा करके पूरी कार्यवाही की जायेगी। किसी ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है और जांच में प्रमाणित पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/ व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो तथा संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस अवश्य दिया जायेगा।

4- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 द्वारा लोक निर्माण विभाग में नये चरित्र प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये है। चरित्र प्रमाण पत्र पी0डब्लू0डी0-टी-4 और हैसियत प्रमाण पत्र पी0डब्लू0डी0-टी-5 के नाम से जाने जाते है। दोनो प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। गृह(पुलिस) अनुभाग-14, उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-1624/छः-पु0-14-2013-50(7)/2006, दिनांक 20-05-2013 के क्रम में चरित्र प्रमाण -पत्र की वैधता की समय सीमा 3 वर्ष कर दी गयी है। चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र को जनपद की वेवसाइट पर अपलोड कराया जायेगा। जिलाधिकारी नियमित अन्तराल पर प्रतिवर्ष इन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करायेंगे तथा यह सुनिश्चित करायेगें कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को यह प्रमाण-पत्र जारी न हो सके। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ठेकेदारों के पंजीकरण से पूर्व तथा कार्य आवंटित करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों को सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे। उत्तर प्रदेश सहित भारत के दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों/डिप्टी कमिश्नर /समकक्ष अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रारूपों में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सभी का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। यह देखा गया है कि फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते समय ठेकेदारों द्वारा फर्म /पार्टनरों के नाम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है बाद में फर्म से कोई वसूली यदि की जानी हो तो कभी-कभी सम्भव नहीं हो पाती है। अतः फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम की हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस निर्देश का कठोरता से अनुपालन किया जाय। इस संबंध में महानिरीक्षक, निबन्धक, उ0प्र0 के पत्र सं0-501/शि0का0लख/2003, दिनांक 27-02-2003 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- लोक निर्माण विभाग में जो भी व्यक्ति अथवा संस्था ठेकेदारी का कार्य करना चाहेंगी उसे स्वघोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा। यह स्वघोषणा-पत्र पी0डब्लू0डी0-टी-6 के नाम से जाना जायेगा। यह स्वघोषणा-पत्र शपथ पत्र 100/- रूपये (रू0 एक सौ) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर दिया जायेगा। यह स्वघोषणा शपथ-पत्र अनुबन्ध का अनिवार्य अंग है। बिना इसके कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6- लोक निर्माण विभाग में कराये जाने वाले मार्ग, सेतु,भवन एवं विधुत/यांत्रिक सहित कार्यो तथा संबंधित टेण्डरों अनुबन्धों का विवरण विभागीय वेवसाइट (http://uppwd-gov-in) तथा ई-टेण्डर हेतु निर्धारित वेवसाइट (http://etender.up.nic.in) पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था अवश्य की जाय। इस संबंध में लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश शासनादेश सं0-2487/23-1-06, दिनांक 03-11-2006 द्वारा जारी कर दिये गये है। इस शासनादेश के प्रस्तर-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में उल्लिखित रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं के स्थान पर अब यह प्राविधान सभी लागत वाली निर्माण परियोजनाओं पर लागू होंगे। इसी प्रस्तर में उल्लिखित विभागीय वेवसाइट (http://uppwd-gov-in) को भी उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। इसका कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- लोक निर्माण विभाग में रूपये एक लाख से अधिक लागत वाली सभी मार्ग, सेतु, भवन एवं विधुत/यांत्रिक सहित कार्यो/निर्माण परियोजनाओं से संबंधित मुख्य बिन्दुओं अर्थात परियोजना का नाम, स्वीकृति लागत, धन आवंटन, अनुबन्ध संख्या व दिनांक, खण्ड/वृत्त का नाम,अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने एवं कार्य समाप्त होने की तिथि, अनुबन्ध के अन्तिमीकरण की तिथि, कार्य की गुणवत्ता ठेकेदार का नाम एवं पता तथा कार्य की तकनीकी विशिष्टयों आदि विभागीय वेबसाइट (http://uppwd.gov.in) पर अवश्य प्रदर्शित की जाय तथा इसका प्रचार-प्रसार अन्य माध्यमों से भी किया जाय। कार्य आवंटित करने से पूर्व बिड कैपसिटी आकलित करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि ठेकेदार के पास उसकी बिड केपेसिटी से ज्यादा कार्य पहले से तो नही चल रहे है, यदि ऐसा हो तो नया कार्य न आवंटित किया जाय। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

8- उपरोक्त जानकारी विभागीय वेवसाइट पर डालने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड का होगा।जनपद में स्थित लो0नि0वि0 के अन्य खण्डों का उत्तरदायित्व होगा कि वे अनुबन्धों से संबंधित सूचनायें वेवसाइट पर डालने हेतु अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड को सूचना समय से उपलब्ध करा देंगे। संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता और क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे समय-समय पर वेवसाइट को देखकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। पुन: यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी टेण्डर वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

9- उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में सभी टेण्डरों को निदेशक, सूचना को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। सभी टेण्डर निदेशक,सूचना की वेवसाइट पर प्रदर्शित किये जाते है। निदेशक, सूचना द्वारा सभी प्रमुख समाचार पत्रों में भी टेण्डर का प्रकाशन किया जाता है। ई-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

टेण्डरिंग व्यवस्था लागू होने के कारण अब निविदा सूचना से संबंधित संक्षिप्त प्रेस नोट जिसमें ई-टेण्डरिंग वेवसाइट का उल्लेख हो, सूचना, निदेशक के माध्यम से प्रकाशित कराया जायेगा। इसका उद्धेश्य यह है कि विभागीय टेण्डर और उसकी कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकें। शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

10- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176 (सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 द्वारा लोक निर्माण विभाग में प्रचलित टेण्डर फार्म के प्रारूप प्रपत्र सं0- PWD-T-1, PWD-T-2 व PWD-T-3 जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-181कैम्प/ प्र0अ0वि/ 01सकुलर/16, दिनांक 28-04-2016 द्वारा रू0 100.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यो में भारत सरकार का स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट का प्रयोग किये जाने तथा उससे कम लागत के कार्यो में पूर्व प्रचलित व्यवस्था टी-2 निविदा डाक्यूमेण्ट का प्रयोग अनुमन्य किया गया है। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 05-01-2007 को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। अत: निम्नवत् टेण्डर फार्म लागू होंगे:-

(1) प्रपत्र सं0- PWD-T-1 यह प्रपत्र चालीस लाख रूपये तक की धनराशि के कार्यो के निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(2) प्रपत्र सं0- PWD-T-2 यह प्रपत्र चालीस लाख रूपये से अधिक रू0 100.00 करोड़ तक की धनराशि के कार्यो/ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(3) प्रपत्र सं0- PWD-T-3 यह प्रपत्र सामग्री की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(4) भारत सरकार का स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट(एस0बी0डी0) यह प्रपत्र रू0 100.00 करोड़ से अधिक की धनराशि के कार्यो/ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

शासनादेश सं0-2572/23-7-14-176(सा0)/06टी0सी0, दिनांक 23-09-2014 द्वारा PWD-T-1 की शर्त संख्या- 2.5 तथा PWD-T-2 की शर्त संख्या-3.4 प्रतिस्थापित की गयी है जो लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 से निर्गत निर्देशानुसार वर्तमान में टेण्डर की बिक्री तथा जमा किये जाने की कार्यवाही 04 स्थानों से की जाती: (1) संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं कार्यालय जहां से कार्य/ निर्माण परियोजनाओं को सम्पादित किया जाना है। (2) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय(3) संबंधित मुख्य अभियन्ता कार्यालय (4) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का कार्यालय (कलेक्ट्रर)। उपरोक्त 04 स्थानों से टेण्डर फार्म की बिक्री एवं जमा किये जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेवसाइट से लोड करके भी फार्म प्राप्त किये जाते है। शासनादेश सं0-350/23-7-17-176(सा0)/20 टी0सी0, दिनांक 31-03-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के कारण यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। सभी टेण्डरों पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से निविदा समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में टेण्डर फार्म की बिक्री तथा जमा किये जाने के लिए उपरोक्त सभी कार्यालयों में एक विशेष स्थान निर्धारित किया जाता है। जिसकी सूचना जनसामान्य को रहती है और वहां नोटिस बोर्ड पर भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। कलेक्ट्रेट में इस कार्य के लिए अलग से स्थान निर्धारित करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी जिलाधिकारी द्वारा लगायी जाती है। कलेक्ट्रेट में इसका सुपरविजन अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। शासनादेश सं0-350/23-7-17-176(सा0)/20टी0सी0, दिनांक 31-03-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के कारण यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। सभी टेण्डरों पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से निविदा समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में पैरा-12 में वर्णित चार स्थानों में टेण्डर की बिक्री और जमा करने की कार्यवाही की जाती है। किन्तु निविदा प्रपत्रों को खोलने की कार्यवाही केवल एक ही स्थान पर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/ कलेक्ट्रेट में ही की जाती है। निविदा प्रपत्रों को खोलने के समय संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता अवश्य उपस्थित रहते है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाती है और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक पूर्णतया सुरक्षित स्थान पर यह सब कार्यवाही टेण्डरदाताओं की उपस्थित में एक बड़े हाल में की जाती है। संवेदनशीलता और सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक निविदा खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहते है। पूरी कार्यवाही पारदर्शी तरीके से पब्लिकली होती है। इस कार्य के लिए एक अपर जिलाधिकारी को अलग से प्रभारी नामित किया जाता है, जिसकी देखरेख में यह कार्य सम्पादित किया जाता है। शासनादेश सं0-350/23-7-17-176(सा0)/20टी0सी0, दिनांक 31-03-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के कारण यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। सभी टेण्डरों पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से निविदा समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14- शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 05-01-2007 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कलेक्ट्रेट में निविदा खोलने के पश्चात यथासंभव उस पर निर्णय तुलनात्मक चार्ट आदि बनाकर सबके सामने सक्षम अधिकारी द्वारा ले लिया जाता है और इस जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाता है। विभागीय नियमों के अन्तर्गत टेण्डर खोलने की कार्यवाही एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें संबंधित अधिशासी अभियन्ता दूसरे खण्डों के एक अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित अधीक्षण अभियन्ता सदस्य होते है। यह समिति पूर्ववत् रहेगी। किन्तु कलेक्ट्रेट में निविदा खोलने की कार्यवाही उपरोक्त समिति के करने के पश्चात संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा एक अपर जिलाधिकारी जिन्हें प्रभारी बनाया जाता है, उनके द्वारा तुलनात्मक चार्ट तथा अन्य अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित किये जाते है। शासनादेश सं0-350/23-7-17-176 (सा0)/20टी0सी0, दिनांक 31-03-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के कारण यह व्यवस्था समाप्त की जाती है। सभी टेण्डरों पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से उपरोक्त निविदा समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अभिलेखों की पवित्रता(sanstity) पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

15- ठेका स्वीकृत होने के पश्चात सभी अभिलेखों को प्राप्त करने की कार्यवाही और औपचारिकतायें आदि पूरी करने की कार्यवाही यथाशीघ्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में विभागीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। किन्तु प्रत्येक दशा में यह औपचारिकतायें 15 दिनों में अवश्य पूरी कर ली जायेगी। यदि इससे अधिक विलम्ब होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी संबंधित अभियन्ता की होगी। अत:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस समय से सारी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगी। अधीक्षण अभियन्ता और मुख्य अभियन्ता भी विलम्ब के लिए दोषी माने जायेंगे।

16- टेण्डर को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने अथवा उस पर अन्तिम निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया है:-

अधिकारी	कार्य की लागत
सहायक अभियन्ता	रू0 2.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधिशासी अभियन्ता	रू0 40.00 लाख तक की लागत वाले कार्य।
अधीक्षण अभियन्ता	रू0 1.00 करोड़ तक की लागत वाले कार्य।
मुख्य अभियन्ता	रू0 1.00 करोड़ से ऊपर की लागत वाले कार्य।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-ए-2-1602/दस-95-24(14)/95, दिनांक 01-06-1995 उल्लेखनीय है । इसका कठोरता से पालन किया जाय। रू0 40.00 लाख तक के कार्यो के लिए 10 प्रतिशत जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा की जायेगी। रू0 40.00 लाख से ऊपर के कार्यो 5 प्रतिशत जमानत राशि निविदा के समय ही जमा की जायेगी। यह अनिवार्य है। इस संबंध में शासनादेश सं0-6738/23-7-06-176(सा0)/06, दिनांक 31-01-2007 द्वारा पुन: स्पष्ट किया गया है कि पहले रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि ली जायेगी और उसके ऊपर समस्त अवशेष धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत लागू रहेगा।

17- अनेको ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति दिखाते हुए हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है। कई बार एक ही हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कई टेण्डरों में किया जाता है। अत: सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण पत्र बहुत गहराई से छानबीन और जांच के पश्चात जारी किया जाय कुछ प्रमाण पत्रों को समय-समय पर उच्चस्तरीय टीम गठित करके जांच भी करायी जाती रहे। इन हैसियत प्रमाण पत्रों का बैंक से और आयकर विभाग से पुष्टि भी करायी जाय। जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्रों का लेखा-जोखा जनपद की वेवसाइट पर अपलोड कराया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा तथा समय-समय पर इसका सत्यापन भी कराया जायेगा। ठेका देने से पूर्व लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन कराया जायेगा। गलत हैसियत प्रमाण पत्र के आधार पर ठेका कदापि न दिया जाय।

18- लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन तथा ठेकेदारी के माध्यम से कार्य कराये जाने के संबंध में विभागीय नियम और व्यवस्थाएं पूर्व से निर्धारित है। अधिवक्ताओं के द्वारा सीधे लोक निर्माण विभाग के कार्यो में ठेका लेने अथवा ठेके का रजिस्ट्रेशन कराकर ठेके पर कार्य आदि कराने के संबंध में विभाग द्वारा विधिक व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 49 1(सी) तथा बार काउंसिल आफ इण्डिया रूल्स के चैप्टर-2 के सेक्शन-7 के रूल्स -47 में विधिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त विधिक व्यवस्था के प्रकाश में ऐसे प्रकरणों का परीक्षण किया जायेगा और उपरोक्त विधिक नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी।

19- कभी- कभी ठेकेदारों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा(Unhealty Comptition) के कारण कार्य की अनुमानित लागत से काफी नीचे की बोली/दरे दे दी जाती है। ऐसी दशा में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ और मानकों के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से इसका विस्तृत विवरण मांगे कि वह क्यों इतनी कम दरें दे रहा है और इतनी कम लागत पर उस परियोजना को कैसे पूरा कर सकेगा। यदि इस आशंका की पुष्टि हो जाती है कि ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो वह मेरिट के आधार टेण्डर को निरस्त कर सकते है। किन्तु इस संबंध में एक तथ्यात्मक और Speaking order पास करेंगे जिसमे सभी तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा कि टेण्डर को क्यों निरस्त किया जा रहा है।

निर्माण कार्यो में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य को छोड़कर चले जाने की स्थिति को बचाये जाने के लिए प्रतिशत बिलों टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/ परफारमेन्स गारन्टी लिये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-622/23-12-2012/08टी0सी0, दिनांक 08-6-2012 के अनुसार निर्देश दिये गये है। आमतौर पर 10 से 15 प्रतिशत बिलों दर पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निविदादाता द्वारा कार्य कराये जाने में कठिनाई नहीं है। अत: 10 प्रतिशत बिलों तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/ परफारमेन्स गारन्टी ली जायेगी। यह प्राविधान यथावत लागू रहेगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

20- सामान्यत: यह भी देखने में आता है कि अभियन्ताओं द्वारा जानबूझकर एक कार्य को छोटे-छोटे कार्यो में विभाजित करके कम लागत के बहुत से अनुबन्ध बना दिये जाते है। इसके कारण जहां बहुत से ठेकेदार एक कार्य में लगाये जाते है वहीं पर गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। सामान्यत: इसका उद्धेश्य बहुत से ठेकेदारों को समायोजित करने का रहता है। सभी मूल(Original) कार्यो के लिए सामान्यत: एक कार्य एक टेण्डर का सिद्धान्त अपनाया जाय। यदि किसी विशेष परिस्थितियों में छोटे टेण्डर करने की आवश्यकता होती है तो अधिशासी अभियन्ता की तथ्यात्मक रिपोर्ट और स्पष्ट संस्तुति के आधार पर इसका निर्णय संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा लिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा इस संबंध में न्यूनतम दो पृष्ठों का सुविचारित और Speaking order पास किया जायेगा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है। उसमें अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख किया जायेगा। यह व्यवस्था विभागीय हॉटमिक्स प्लान्ट, नवीनीकरण, पैच रिपेयर तथा अनुरक्षण आदि पर लागू नहीं होगी।

21- लोक निर्माण विभाग के मार्ग, सेतु,भवन एवं विधुत/यांत्रिक कार्यो/ निर्माण परियोजनाओं का ठेका प्राप्त करने के लिए वर्तमान में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार ही अधिकृत है। यह व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदार को ही विभाग के कार्यो को करने तथा ठेका प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदारों का विवरण विभागीय वेबसाइट (http://uppwd.gov.in) पर अपलोड किया जायेगा तथा ठेका देने से पूर्व संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग में ठेकेदार विधिवत पंजीकृत हो। पंजीकरण के कार्य हेतु एक आनलाइन साफटवेयर विकसित किया जायेगा, जिसके पंजीकृत ठेकेदार का आधार संख्या, मोबाइल नं0,ई-मेल, नाम, पता , पैनकार्ड संख्या, पंजीकरण कोड संख्या, उसके द्वारा पंजीकरण के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों एवं उनकी सत्यापन आख्याओं का विवरण तथा इस पंजीकरण के सापेक्ष कराये गये कार्यो का विवरण, ठेकेदार यदि डिबार/ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उसका विवरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदि पूरा ब्यौरा रखा जायेगा। इसका कड़ाई से पालन कराया जाय। शासनादेश सं0-2365एम0एस0/23-पी0डब्लू0-41एम0एस0/1954, दिनांक 24-08-1982 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

22- सामान्यत: यह देखा गया है कि ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करते है अथवा कार्य बीच में छोड़ देते है या खराब गुणवत्ता का कार्य करते है जिससे कार्य की लागत बढ. जाती है तथा सामान्यत: जनता को स्वीकृत कार्य का लाभ समय से नहीं प्राप्त होगा। अत: प्रत्येक अनुबन्ध के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने की अनुबन्धित तिथि, भौतिक प्रगति(प्रतिशत में) तथा गुणवत्ता संबंधी टिप्पणी दर्शाते हुए पूर्ण करने की वास्तविक तिथि विभागीय वेबसाइट (http://uppwd.gov.in) पर अपलोड की जायेगी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब अथवा खराब गुणवत्ता कार्य कराये जाने की दशा में ठेकेदार को नियमानुसार सक्षम स्तर से कारण बताओं नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट/ डिबार किया जायेगा।

23- बहुधा देखा गया है कि किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट/ डिबार करने के पश्चात संबंधित ठेकेदार अपने परिवारजनों के नाम से अथवा फर्म/कम्पनी का नाम बदल कर दूसरा रजिस्ट्रेशन कराकर कार्य करने लगते है। इस प्रथा को रोकने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ठेकेदार/फर्म /कम्पनी को यदि नियमानुसार ब्लैकलिस्ट/ डिबार किया गया हो तो वह ठेकेदार स्वयं अथवा उस फर्म /कम्पनी का प्रत्येक पार्टनर/डायरेक्टर ब्लैकलिस्ट होता है तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा उसका सगा संबंधी यदि पंजीकरण के लिए स्वयं अथवा किसी फर्म /कम्पनी के पार्टनर/ निदेशक की हैसियत से पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

24- उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के अनुसार ग्राम सम्पर्क मार्गो पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिजिटी पीरियड 02 वर्ष होगा। इसका उल्लेख अनुबन्धों में कराते हुए कठोरता से अनुपालन कराया जाय।

25- बहुधा देखा गया है कि ठेकेदार ग्रुप बनाकर पूलिंग करके टेण्डर डाल देते है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ विभाग को नहीं मिल पाता है। ऐसा सामान्यत: एक ही खण्ड/जनपद में कार्य करने वाले ठेकेदार जो आपस में नियमित रूप से मिलते रहते है, द्वारा किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाता है। निविदा समिति के सदस्यों को सतर्कता से ऐसे टेण्डरों की जांच करनी चाहिये तथा पुलिंग की आशंका होने पर टेण्डर स्वीकृतकर्ता अधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जाय।

26- अनुबन्ध गठन के पश्चात तत्परता से कार्यस्थल पर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य का संरेखण, विशिष्टियों तथा मानचित्र आदि से ठेकेदार को अवगत कराया जायेगा एवं समय-समय पर नियमित रूप से पर्यवेक्षण/ निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य से संबंधित कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। विभाग से यह ठेकेदार को बिटुमिन आदि सामग्री निर्गत की जानी है तो उसमे विलम्ब न किया जाय। कार्य की प्रगति के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने पर समय-समय पर नियमित रूप से कार्य की मापी कराकर ठेकेदार को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस हेतु प्रत्येक कार्य की साइट आर्डर बुक बनायी जाय जिसमे संबंधित अवर अभियन्ता कार्य स्थल की प्रत्येक विजिट में उपरोक्तानुसार समस्त विवरणों के साथ ही कार्य की प्रगति एवं गुण्वत्ता के संबंध में टिप्पणी अंकित की जायेगी। इसके साथ ही निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपने प्रत्येक निरीक्षण में इस पर टिप्पणी अंकित की जाय। यह भी देखने में आ रहा है कि जो कार्य विभागीय/ठेकेदारों के प्लाण्ट से कराये जा रहे है उनका क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर मैन्टेन नहीं किया जा रहा है। इसको तत्काल मैन्टेन किया जाय तथा भुगतान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक देयक के साथ साइट विजिट रजिस्टर/ क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर की छायाप्रति देयक के साथ अवश्य संलग्न की जाय। निर्धारित कार्य के संबंधित खण्ड द्वारा एम0बी0 के साथ ही उक्त दोनो रजिस्टर निर्गत किये जायेंगे एवं कार्य समाप्ति होने पर संबंधित खण्ड में सुरक्षित रखे जायेंगे। इनका निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।

27- रिट याचिका सं0-1788एम0बी0/2013 रामकृष्ण सोनी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-08-14 के अनुपालन में लो0नि0वि0 में ठेकेदारों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा निरस्तीकरण आदि आनलाइन किया जाय अर्थात ठेकेदारों के पंजीयन की व्यवस्था में ई-रजिस्ट्रेशन लागू किया जाय।

28- रिट याचिका सं0-77एम0बी0/2011 रघुवीर बहादुर सिन्हा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-01-11 द्वारा ग्रामीण आबादी में स्थित पैतृक /संयुक्त परिवारो के भवनों/ सम्पत्ति का मूल्यांकन करके हैसियत प्रमाण-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये है। इस संबंध में लो0नि0अनु0-7 द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए शासनादेश सं0-2689/23-7-12-176(सा0)/06 टी0सी0, दिनांक 20-09-12 निर्गत किया गया है। इसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पूर्व में समय-समय पर निर्गत शासनादेश/ निर्देश उक्त निर्देशों से जिस सीमा तक असंगत होंगे, उस सीमा तक निष्प्रभावी होंगे। उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि राज्य के विकास और निर्माण कार्यो पर आपराधिक गतिविधियों का दुष्प्रभाव न पडे और वे विकास में बाधक न बनें।

भवदीय,

(सदा कान्त)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-8/2017/836(1)/23-7-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
2- अपर मुख्य सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क एवं परि0/नियो0) लो0नि0वि0 , उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।